



क्षेत्रीय कार्यालय – सागर पता: क्षेत्रीय कार्यालय: 7 सिविल लाईंस, यूनिवर्सिटी रोड, सागर (म.प्र.)

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति,
मे. संतोष सुपर कृषि यंत्र-खुरई
द्वारा प्रोपराइटर – लक्ष्मी नारायण कुर्मी पिता श्री कंछेदिलाल कुर्मी

जमानतदार – 1) श्रीमति सुखरानी कुर्मी पत्नी श्री पल्लूराम कुर्मी
पता – ग्राम प्यासी, पोस्ट सिलोधा, तेह खुरई, जिला सागर, (मध्यप्रदेश)
2) श्रीमति राधा रानी कुर्मी पत्नी श्री खूबसिंह ठाकुर
पता – ग्राम प्यासी, पोस्ट सिलोधा, तेह खुरई, जिला सागर, (मध्यप्रदेश)

विषय: ई - नीलामी विक्रय नोटिस- ऋण खाता – मे. संतोष सुपर कृषि यंत्र

खाता सं.	खाता प्रकार	संबंधित ऋण नाम	ऋण राशि
3407282652	नगद साख	मे. संतोष सुपर कृषि यंत्र प्रो. लक्ष्मी नारायण कुर्मी पिता श्री कंछेदिलाल कुर्मी	₹ 25,00,000/-

जबकि आप उपरिनिदिष्ट ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 05/08/2024 (मे. संतोष सुपर कृषि यंत्र-खुरई, प्रो. लक्ष्मी नारायण कुर्मी पिता श्री कंछेदिलाल कुर्मी धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 17/07/2025 (प्रकाशन – 20/07/2025 दैनिक भास्कर एवं टाइम्स ऑफ़ इंडिया) की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्थावर संपत्ति का विक्रय नीलामी के माध्यम से दिनांक **22/07/2026 (दोपहर 1.00 बजे)** किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं नई दुनिया में दिनांक 20/06/2026 को किया गया है।

एतद्वारा आपको 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि आप बकाया राशि के साथ सभी व्यय प्रभार तथा लागत का भुगतान कर प्रतिभूति का मोचन कर लें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

स्थावर संपत्ति का विवरण:

संपत्ति क्र.	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण
1	मे. संतोष सुपर कृषि यंत्र द्वारा प्रोपराइटर – लक्ष्मी नारायण कुर्मी पिता श्री कंछेदिलाल कुर्मी	₹. 4345080.50/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि/भवन: खसरा नं 69, प.ह.न. 53, ग्राम प्यासी, तह-खुरई, जिला सागर (म.प्र.)। कुल क्षेत्रफल -0.05 हेक्टेयर चतु:सीमा – उत्तर:सुखरानी की संपत्ति, पूर्व: सरकारी संपत्ति, दक्षिण: मनोहर की संपत्ति- चौधरी, पश्चिम: सरकारी संपत्ति। संपत्ति स्वामी - श्री लक्ष्मी नारायण कुर्मी पिता कंछेदिलाल कुर्मी आरक्षित मूल्य : ₹. 1,74,200/-
2	जमानतदार – 1) श्रीमति सुखरानी कुर्मी पत्नी श्री पल्लूराम कुर्मी 2) श्रीमति राधा रानी कुर्मी पत्नी श्री खूबसिंह ठाकुर संबंधित शाखा: खुरई (म.प्र.)		साम्य बंधक भूमि/भवन: खसरा नं 67 एवं 68 ,प.ह.न. 29/53, ग्राम प्यासी, तह-खुरई, जिला सागर (म.प्र.)। क्षेत्रफल 0.07 एवं 0.05 हेक्टेयर, चतु:सीमा- उत्तर-पूरन सिंह की संपत्ति, पूर्व- सरकारी संपत्ति, दक्षिण- कंछेदिलाल की संपत्ति, पश्चिम- आम रास्ता। संपत्ति स्वामी – सुखरानी पति स्व. श्री पल्लूराम कुर्मी आरक्षित मूल्य : ₹. 9,34,300/-





सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - सागर पता: क्षेत्रीय कार्यालय: 7 सिविल लाइंस, यूनिवर्सिटी रोड, सागर (म.प्र.)

3

साम्य बंधक भूमि/भवन: खसरा नं 649/1, प.ह.न.17/25, वार्ड क्र. 24, तह-
खुरई, जिला सागर (म.प्र.)। क्षेत्रफल - 0.05 हेक्टेयर। चतु:सीमा -उत्तर-इकराम
हाफिज़ का मकान, पूर्व-15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण-जमीलअहमद की संपत्ति,
पश्चिम- अनीता जैन पति श्री रुपचन्द जैन की संपत्ति
संपत्ति स्वामी - श्रीमति राधा रानी कुर्मी पत्नी श्री खूबसिंह ठाकुर।
आरक्षित मूल्य : रु.5,83,000/-

ऋणकर्ता/गारंटर/संपत्ति स्वामी का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: सागर (म.प्र.)
तिथि: 18.06.2026


प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
मुख्य प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, सागर

